बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

अधिसूचना

पटना–15, दिनांक– 25/11/2020

संख्या– 1/स्था0 (2) 04/2019–3100............../ भारत के संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल **"बिहार पशु चिकित्सा सेवा"** (नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2014 (समय–समय पर यथासंशोधित) का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ः–**

(i) यह नियमावली **"बिहार पशु चिकित्सा सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2020"** कही जा सकेगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(iii) यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी।

2. **"बिहार पशु चिकित्सा सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त) नियमावली–2014 के नियम–2 के उप नियम (v)का प्रतिस्थापन ।** – उक्त नियमावली के नियम–2 के उप नियम (v) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

"2(v)–आयोग से अभिप्रेत है **"बिहार तकनीकी सेवा आयोग"**

3. **"बिहार पशु चिकित्सा सेवा" (नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त) नियमावली–2014 के नियम–3 (5) (i) का प्रतिस्थापन ।**– उक्त नियमावली के नियम–3 (5) (i) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

(i) भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी/ प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी एवं समकक्ष पद (मूल कोटि)।

4. **"बिहार पशु चिकित्सा सेवा" (नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त) नियमावली–2014 के नियम–4 का प्रतिस्थापन।**– उक्त नियमावली के नियम–4 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

बिहार पशु चिकित्सा सेवा में नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी/प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी एवं समकक्ष पद (मूल कोटि) तथा विशेषज्ञ पदों पर होगी। प्रत्येक वर्ष उपलब्ध रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए इस नियमावली के विहित प्रक्रियानुसार इनका चयन किया जायेगा। यह चयन **"बिहार तकनीकी सेवा आयोग"** के माध्यम से होगा। सरकार द्वारा विनिश्चित आयु सीमा एवं आरक्षण नियमों का पालन आवश्यक होगा। परन्तु यह भी कि नियुक्ति के किसी संव्यवहार में विभाग कारणों को अभिलिखित करते हुए अधिकतम उम्र सीमा को बढ़ा सकेगा।

5. **"बिहार पशु चिकित्सा सेवा" (नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त) नियमावली–2014 के नियम–5 का प्रतिस्थापन।**–उक्त नियमावली के नियम–5 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

"(1) सामान्य संवर्ग में नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हत्ता भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी0वी0एस0सी0 (B.V.Sc.) अथवा बी0वी0एस0सी0 एण्ड ए0एच0 (B.V.Sc. & A.H.) की डिग्री होगी। विशेषज्ञ संवर्ग में नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हत्ता भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम0वी0एस0सी0 (M.V.Sc.) की डिग्री होगी।

बिहार सरकार के अधीन संविदा/ अनुबंध पर नियुक्त पशु चिकित्सक/ पशुपालन पदाधिकारी, ए0टी0एम0/बी0टी0एम0 के रूप में कृषि विभाग, बिहार, पटना में संविदा पर नियोजित पशु चिकित्सा स्नातकों, बिहार स्टेट मिल्क कॉपरेटिव फेडरेशन (कम्फेड) में कार्यरत पशु चिकित्सक, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) में कार्यरत पशु चिकित्सक, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग,

बिहार, पटना के अन्तर्गत संचालित विभिन्न परियोजना में कार्यरत पशु चिकित्सक तथा बिहार सरकार के किसी भी विभाग में कार्यरत पशु चिकित्सकों को कार्यानुभव के लिए अधिमानता दी जायेगी।

(2) सामान्य सम्वर्ग / विशेषज्ञ संवर्ग में नियुक्ति हेतु पशु चिकित्सकों के चयन के लिए अभ्यर्थियों को उनकी शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य अनुभव के लिए अंक प्रदान किये जायेंगे।

शैक्षणिक योग्यता एवं कार्यानुभव के लिए कुल विनिश्चित अंक 100 (एक सौ) होंगे एवं इनका विनिश्चय निम्न प्रकार होगा –

सामान्य संवर्ग–

(i) बी0वी0एस0सी0 **(B.V.Sc.)** अथवा बी0वी0एस0सी0 एण्ड ए0एच0 **(B.V.Sc. & AH)** में प्राप्तांक	कुल 75 अंक
(ii) स्नातकोत्तर अथवा उच्चत्तर डिग्री	कुल 5 अंक
(iii) बिहार सरकार के अधीन संविदा/ अनुबंध पर नियुक्त पशु चिकित्सकों/पशुपालन पदाधिकारी,ए0टी0एम0/बी0टी0एम0 के रूप में कृषि विभाग, बिहार में संविदा पर नियोजित पशु चिकित्सा स्नातकों, बिहार स्टेट मिल्क कॉपरेटिव फेडरेशन (कम्फेड) में कार्यरत पशु चिकित्सकों, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) में कार्यरत पशु चिकित्सकों, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत संचालित विभिन्न परियोजनाओं में कार्यरत पशु चिकित्सकों तथा बिहार सरकार के किसी भी विभाग में कार्यरत पशु चिकित्सकों के कार्यानुभव के लिए अंक **नोट** :– संविदा/ अनुबंध के आधार पर कार्यरत कर्मियों को किये गये कार्य अवधि के लिए अधिकतम 20 अंक (कार्यानुभव के प्रत्येक वर्ष के लिए 4 अंक के हिसाब से अधिकतम 20 अंक) एवं वर्ष के अंश के लिए अनुपातिक अंक दिये जा सकते है	कुल 20 अंक

विशेषज्ञ संवर्ग–

(i) एम0वी0एस0सी0 **(M.V.Sc.)** में प्राप्तांक	कुल 75 अंक
(ii) स्नातकोत्तर से उच्चत्तर डिग्री	कुल 5 अंक
(iii) बिहार सरकार के अधीन संविदा/ अनुबंध पर नियुक्त पशु चिकित्सक/पशुपालन पदाधिकारी, ए0टी0एम0/बी0टी0एम0 के रूप में कृषि विभाग, बिहार में संविदा पर नियोजित पशु चिकित्सा स्नातकों, बिहार स्टेट मिल्क कॉपरेटिव फेडरेशन (कम्फेड) में कार्यरत पशु चिकित्सकों, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) में कार्यरत पशु चिकित्सकों, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत संचालित विभिन्न परियोजनाओं में कार्यरत पशु चिकित्सकों तथा बिहार सरकार के किसी भी विभाग में कार्यरत पशु चिकित्सकों के कार्यानुभव के लिए अंक **नोट** :– संविदा/अनुबंध के आधार पर कार्यरत कर्मियों को किये गये कार्य अवधि के लिए अधिकतम 20 अंक (कार्यानुभव के प्रत्येक वर्ष के लिए 4 अंक के हिसाब से अधिकतम 20 अंक) एवं वर्ष के अंश के लिए अनुपातिक अंक दिये जा सकते हैं।	कुल 20 अंक

(3) (i) विज्ञापन वर्ष की पहली अगस्त को उम्मीदवार की अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) के द्वारा समय–समय पर आरक्षण कोटिवार विनिश्चित की जाय।

(ii) परन्तु यह भी कि नियुक्ति के किसी संव्यवहार में विभाग कारणों को अभिलिखित करते हुए अधिकतम उम्र सीमा को बढ़ा सकेगा।

(4) अभ्यर्थी को अच्छे नैतिक चरित्र एवं मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।

(5) अभ्यर्थी को बिहार पशु चिकित्सा परिषद से स्थायी रूप से निबंधित होना चाहिए।

टिप्पणी (क)– बी0वी0एस0सी0 (B.V.Sc.) अथवा बी0वी0एस0सी0 एण्ड ए0एच0 (B.V.Sc. & A.H.) तथा एम0वी0एस0सी0 (M.V.Sc) के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किये जाने वाले अंकों का अवधारण उक्त कोर्स की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.75 के गुणक से गुणा करके होगा। यथा, यदि किन्हीं अभ्यर्थी द्वारा 50% अंक प्राप्त किया गया हो तो उन्हें 50 x 0.75 = 37.5 अंक दिये जायेगे।

परन्तु, यह भी कि भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी/ प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी एवं समकक्ष पद पर तथा विशेषज्ञ संवर्ग के पद पर नियुक्ति हेतु साक्षात्कार का प्रावधान नहीं रहेगा। शैक्षणिक योग्यता एवं कार्यानुभव के आधार पर प्राप्त अंकों के आधार पर ही आयोग द्वारा मेधा सूची तैयार कर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की जायेगी।

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0–12535, दिनांक–17.09.2018 (समय–समय पर यथा संशोधित) में विहित प्रावधान के अनुरूप बिहार राज्य के अंदर अवस्थित पशु चिकित्सा महाविद्यालयों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए सभी आरक्षण कोटि में 50% क्षैतिज आरक्षण भी लागू होगा।

(ख) सामान्य/विशेषज्ञ संवर्ग में नियुक्ति हेतु विचारण में अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम अंक सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों में निर्धारित अंक के अनुसार होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

25/11/2020

(डॉ0 एन0 सरवण कुमार)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–1/स्था0 (2) 04/2019–3101**/ पटना–15, दिनांक–**25/11**/2020**

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि राजपत्र (गजट) की 100 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

25/11/2020

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–1/स्था0 (2) 04/2019–3101**/ पटना–15, दिनांक–**25/11**/2020**

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/11/2020

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–1/स्था0 (2) 04/2019–3101**/ पटना–15, दिनांक–**25/11**/2020**

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/11/2020

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–1/स्था0 (2) 04/2019–3108/ पटना–15, दिनांक–25/11/2020

प्रतिलिपिः– निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना/ सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन/सभी विशेष उप निदेशक, पशुपालन/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/11/2020

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–1/स्था0 (2) 04/2019–3101/ पटना–15, दिनांक–25/11/2020

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव/ विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/11/2020

सरकार के अपर सचिव।